प्रति,

माननीय मंत्री ,
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल

दिनाँक : नवम्बर 26 , 2015

विषय : यूनियन कार्बाइड के ज़हरों से प्रदूषित भूजल पीड़ितों की तीन माँगें |

महोदय,

हम यूनियन कार्बाइड के परित्यक्त कीटनाशक कारखाने के आसपास के मोहल्लों के रहवासी आपके समक्ष करीब 10 हज़ार परिवारों की तीन गंभीर समस्याएँ प्रस्तुत करना चाहते हैं जिनके समाधान के लिए हम पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहे हैं ।

1. प्रदूषित भूजल पीड़ितों के लिए गैस राहत अस्पतालों में निःशुल्क इलाज एवं पुनर्वास की व्यवस्था |

जैसा की भारतीय विषविज्ञान शोध संस्थान, लखनऊ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा दूसरे शासकीय संस्थानों के वैज्ञानिक रिपोर्टों में स्पष्ट किया गया है यूनियन कार्बाइड के कारखाने के ज़हरीले कचरे की वजह से हमारे इलाके के भूजल में ऐसे रसायन और भारी धातु घुल गए हैं जो गुर्दे, लीवर, फेफड़े और मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाते हैं और जिनकी वजह से कैंसर तथा जन्मजात विकृतियाँ होती हैं| यह भी पता चला है कि इनमें से कई ऐसे रसायन और भारी धातु हैं जो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में जाकर शरीर के अंदर इकट्ठा होते जाते हैं और लम्बे समय के बाद अपना असर दिखाते हैं | प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पुनर्वास अध्ययन केंद्र की 2009 की रिपोर्ट (संलग्न) के अनुसार प्रदूषित भूजल पीड़ितों में अप्रदूषित आबादी की तुलना में श्वसन एवं पाचन तंत्र तथा

आँख व चमड़ी की बीमारियाँ ज़्यादा पाई गयी हैं| वैज्ञानिक जानकारी एवं शासकीय संस्थान के शोध नतीज़ों के आधार पर हम यह माँग करते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय द्वारा संचालित इलाज व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ 5 लाख से अधिक गैस पीड़ितों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है वहीं 50 हज़ार पानी पीड़ितों को भी मुफ्त इलाज दिया जाए एवं ज़रूरतमंद बच्चों के निःशुल्क पुनर्वास की व्यवस्था की जाए|

2. पर्याप्त मात्रा में साफ़ पीने के पानी की आपूर्ति |

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश (संलग्न) के बावजूद आज तक कई प्रदूषण प्रभावित मोहल्लों के रहवासियों को बदबूदार पानी दिया जा रहा है| इसके साथ ही कई मोहल्लों के कई एक गलियों में पानी का दबाव इतना कम रहता है कि लोगों को आपूर्ति न होने से ज़हरीला पानी ही पीना पड़ता है | कई मोहल्लों में पानी सुबह आता है तो अगले दिन को आधी रात को | पानी आपूर्ति की जन समस्यायों के सम्बन्ध में निगम ने शिकायत व समाधान की जो व्यवस्था बनाई है वह किसी काम की नहीं है | हम यह माँग करते हैं कि यूनियन कार्बाइड की ज़हरीले कारोबार के पीड़ितों की देखभाल की ज़िम्मेदारी वाली भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय प्रदूषित भूजल पीड़ितों को पर्याप्त मात्रा में 100% साफ़ पानी पहुँचाने की पूर्ण ज़िम्मेदारी हाथ में ले |

3. निःशुल्क पीने के पानी की आपूर्ति |

यूनियन कार्बाइड कारखाने के आसपास के भूजल के खतरनाक रूप से प्रदूषित होने की बात 1991 में प्रदेश सरकार की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के श्यामला हिल्स स्थित राज्य शोध प्रयोगशाला की जाँच रिपोर्ट में कही गयी। इसके बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा कार्बाइड कारखाने के आस-पास सार्वजनिक हैण्डपम्प लगाए जाते रहे| प्रदेश

सरकार के पास स्थानीय भूजल के ज़हरीले होने के प्रमाण होने के बावजूद कारखाने के पास आकर बसने वाले लोगों को शासन की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गयी| अब जबकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्रदेश शासन ज़हरीले प्रदूषण शिकार परिवारों को साफ़ पानी मुहैया करा रही है, पिछले बीस साल की लापरवाही और उसके दुखदायी नतीज़ों के मद्देनज़र प्रदेश सरकार को कम-से-कम अगले बीस सालों तक पानी पीड़ितों के पानी का बिल माफ़ करना चाहिए| यह हमारी तीसरी माँग है |

यूनियन कार्बाइड के ज़हरों से प्रदूषित भूजल पीड़ितों का एक मात्र संगठन यूनियन कार्बाइड पानी पीड़ित संघर्ष मोर्चा की तरफ से हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारी उपरोक्त तीन माँगों पर विचार कर जल्द-से-जल्द हमारी समस्यायों का समाधान करें।

सधन्यवाद,

श्रीमती सुनीता शिवनगर,	श्रीमती उषा डोंगरे शिवशक्ति नगर	श्रीमती निधी चौहान प्रीत नगर	श्री धुलजी राम गरीब नगर	श्रीमती गुलाब बाई सुन्दर नगर
श्री गंगाराम उड़िया बस्ती	श्रीमती राम बाई प्रेम नगर	श्री अनीस कुरैशी जयप्रकाश नगर	श्री इकबाल खान नवाब कॉलोनी	श्रीमती प्रेमलता चौधरी कैंची छोला
श्रीमती शहज़ादी ब्लू मून कॉलोनी	श्रीमती सकीना बी अन्नू नगर	श्री नर्बदा प्रसाद श्री राम नगर	श्रीमती सुगरा बी न्यू आरिफ नगर	
यूनियन कार्बाइड पानी पीड़ित संघर्ष मोर्चा				